UPJL010011372026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–124/2026

कल्ला उर्फ जावेद आदि　　　प्रति　　　राज्य उत्तर प्रदेश

मुकदमा अपराध संख्या 06/2026
धारा 3,5,8 गौ हत्या निवारण अधिनियम
थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन।

23.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कल्ला उर्फ जावेद पुत्र लियाकत एवं असगर उर्फ अग्गस पुत्र मूसा निवासीगण आराजी लैन कोंच थाना कोतवाली कोंच जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 06/2026 धारा 3,5,8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2026 को वादी मुकदमा/उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह द्वारा थाना जालौन, जिला जालौन में इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह मय हमराह पुलिस बल चौकी क्षेत्र गस्त मामूर था कि जैसे ही वह लोग ग्राम कुदरा बुजुर्ग की ओर पहुॅचे तो दिन में करीब 3:00 बजे गॉव के लोगों द्वारा बताया गया कि ग्राम कुदरा खुर्द व कुदरा बुजुर्ग के बीच खेतों के पास बम्बी में गौवंश के अवशेष पड़े है। मौके पर जाकर देखा गया तो बम्बी में गाय का सर, पैर व अन्य अवशेष मिले। गाय के सर से पहचान हुयी कि यह गौवंश ही है। मौके पर पशु चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट देकर पोस्टमार्टम कराया गया व डाक्टर द्वारा कुछ अवशेष कब्जे में लेकर जांच हेतु भेजा गया तथा पास में ही गड्ढा खोदकर प्राप्त गाय के अवशेष को दफन कराया गया। घटना स्थल पर देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि बीती रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौकशी की गयी है। उपरोक्त फर्द के आधार पर दिनांक 11.01.2026 को थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन में मुकदमा अपराध संख्या 06/2026 धारा 3,5,8 गौ हत्या निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गौवंश की कोई भी हत्या नहीं की गयी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को थाना कोतवाली कोंच की पुलिस दिनांक 12.01.2026 को ग्वालियर से पकड़ लायी और थाने

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2026.04.29 16:44:16 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में बन्द किये रही और दिनांक 13.01.2026 को पैर में गोली मारकर झूंठे मुकदमे में फंसाकर एवं झूंठी पुलिस मुठभेड़ की घटना दिखाकर फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई भी तमंचा व छुरी एवं लकड़ी का ठीहा बरामद नहीं हुआ जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी बरामदगी व मुठभेड़ दिखाकर अनावश्यक जिला कारागार में निरूद्ध कर दिया है। घटना एवं बरामदगी का कोई भी जनसाक्षी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व थाने की आख्या व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उनके द्वारा दिनांक 11.01.2026 को ग्राम कुदरा खुर्द व कुदरा बुजुर्ग के बीच खेतों के पास बम्बी में गौवंश की हत्या कारित की गयी तथा मौके पर गाय का सर, पैर व अन्य अवशेष पाये गये। दौरान विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आने पर उन्हें संबंधित थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से घटना/गौकशी में प्रयुक्त आला कत्ल/चापड़ (बांका), छुरी, लकड़ी का ठीहा आदि बरामद किया जाना बताया गया है। प्रकरण के विवेचक द्वारा दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त कल्ला उर्फ जावेद के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा 12 आपराधिक वाद तथा प्रार्थी/अभियुक्त असगर उर्फ अग्गस के विरूद्ध 08 अपराधिक वाद पंजीकृत हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कल्ला उर्फ जावेद पुत्र लियाकत एवं असगर उर्फ अग्गस पुत्र मूसा निवासीगण आराजी लैन कोंच थाना कोतवाली कोंच जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 06/2026 धारा 3,5,8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 124/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 23.03.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6064